फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट(एस.डी.एम) मुकाम–सिरोही

सायल(प्रार्थी)
सरकार जरिये,
थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री
जिला सिरोही

बनाम

गैरसायलान(अप्रार्थीगण)
पार्टी नंबर 01
श्रीमती भावना पत्नी शान्तिलाल पुरोहित पुत्री अमृतलाल जाति पुरोहित उम्र 34 साल निवासी सिलदर, पुलिस थाना कालन्द्री,हाल टांकरिया पु.था. सिरोही
पार्टी नंबर 02
श्री शान्तिलाल पुत्र धनाजी जाति पुरोहित उम्र 42 साल निवासी सिलदर पु.था. कालन्द्री जिला सिरोही

किस्म मुकदमा
अ.धारा 145 सी.आर.पी.सी. **विविध फौजदारी सं. 05/2017**

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19–9–2019	पत्रावली पेश हुई । सायल सरकार पक्ष की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन सिरोही ,सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही तथा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी द्वितीय सिरोही कोई भी विचारण प्रकरण की सुनवाई के दौरान हाजिर नही है जिस पर न्यायालय द्वारा बार बार आवाजे लगवाने तथा व्यक्तिगत रूप से इस न्यायालय के कार्मिक को भेजकर बुलवाने के बावजूद न्यायालय समय तक कोई भी हाजिर नही होने की वजह से आज न्यायालय मे विचाराधीन इस प्रकरण मे गैरसायल पार्टी नंबर एक श्रीमती भावना पुरोहित जो न्यायालय मे साक्ष्य हेतु हाजिर होने के बावजूद साक्ष्य न्यायालय मे नही हो सकी है। विचाराधीन प्रकरण अर्न्तगत धारा 145 सीआरपीसी द्वारा श्री सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री द्वारा दिनांक 30–6–2017 को न्यायालय मे जरिये इस्तगासा प्रस्तुत किया जाकर गैरसायल पार्टी नंबर एक व गैरसायल पार्टी नंबर दो के मध्य ग्राम सिलदर मे स्थित पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध मे विवाद होने से उक्त विवादित पेट्रोल पम्प को जब्त सरकार करवाने का निवेदन किया था । प्रकरण को दर्ज करके गैरसायल पाटी नंबर एक व दो को जवाब के लिये नोटिस जारी किये गये । गैरसायल पार्टी नंबर एक द्वारा दिनांक 9–3–2018 को अपना जवाब प्रस्तुत किया । गैरसायल पार्टी नंबर एक श्रीमती भावना पत्नि श्री शान्तिलाल पुरोहित के जवाब के अनुसार गैरसायल पार्टी नंबर एक विवादित पेट्रोल पम्प की मालिक हैएवं ग्राम सिलदर की कृषि भूमि खसरा नंबर 1072/1485 रकबा 0.24 हैक्टेयर किस्म गै.मु. पेट्रोल पम्प का गैरसायल पार्टी नंबर एक के नाम से टाईटल है। गैरसायल पार्टी नंबर एक के अनुसार 145 सीआरपीसी की कार्यवाही अपास्त योग्य है क्योंकि सारे दस्तावेज गैरसायल पार्टी नंबर एक के नाम से है। गैरसायल पार्टी नंबर दो श्री शान्तिलाल पुत्र श्री धनाराम पुरोहित निवासी सिलदर ने दिनांक 3–4–2018 को प्रस्तुत जवाब को दिनांक 27–4–2018 को रेकर्ड पर लिया गया । प्रस्तुत जवाब के अनुसार अ.धा. 145 सीआरपीसी की कार्यवाही कब्जा प्राप्त करने के प्रयोजन से की गई है। इस्तगासा खारिज योग्य है। न्यायालय द्वारा सरकार की ओर से अनुसंधान अधिकारी तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री श्री नरपालसिंह को वास्ते साक्ष्य दिनांक 5–6–2018, 30–6–2018, 4–2–2019, 18–2–2019, 25–2–2019, 27–2–2019, 13–3–2019 के द्वारा नरपालसिंह तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री को जरिये सम्मन साक्ष्य तलब किया गया।	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही

C:\Users\hcl\Desktop\New folder (2)\133,145 C.R.P.C.doc

इसी प्रकार सरकारी गवाह श्री ईश्वरसिंह हैड कानि.नंबर 29 पु. था. कालन्द्री को भी दिनांक 18—2—2019 , 25—2—2019, 27—2—2019 को जरिये सम्मन साक्ष्य हेतु तलब किया गया परन्तु न्यायहित मे पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी सरकार की ओर से साक्ष्य के लिये कोई उपस्थित नही होने से दिनांक 13—3—2019 को साक्ष्य सरकार न्यायालय द्वारा बंद की गई । तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 25—3—2019, 1—4—2019, 3—4—2019, 15—7—2019, 31—7—2019, 21—8—2019 को साक्ष्य गैरसायल पार्टी नंबर एक के लिये श्रीमती भावना पत्नि श्री शान्तिलाल पुरोहित न्यायालय मे लगातार उपस्थित रही लेकिन सायल सरकार के पैरोकार सहायक निदेशक अभियोजन सिरोही, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी प्रथम सिरोही, तथा सहायक लोक अभियोजक अधिकारी द्वितीय सिरोही की अनुपस्थित तथा व्यक्तिगत तौर पर इस न्यायालय के कार्मिक को भेजकर बुलवाने के बावजूद दौराने सुनवाई हाजिर नही होने के कारण गैरसायल पार्टी नंबर एक के साक्ष्य नही हो सकी । गैरसायल पार्टी नंबर दो द्वारा दिनांक 26—8—2019 को पेट्रोल पम्प के कब्जे के सम्बन्ध मे कोई विवाद नही होने से इस्तगासा इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया । उपरोक्तानुसार पत्रावली के गहनतापर्वक अवलोकन व विवेचन के उपरान्त स्पष्ट जाहिर होता है कि दोनो दोनो गैरसायल पार्टी नंबर एक तथा गैरसायल पार्टी नंबर दो द्वारा अपने जवाब मे धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही खारिज करने का निवेदन किया है। वहीं सरकार की ओर से प्रकरण मे साक्ष्य वास्ते कोई गवाह उपस्थित नही हुआ एवं इस्तगासा प्रस्तुत किये दो वर्ष की अवधि मे न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के सम्बन्ध मे दोनो पक्षों के बीच शान्ति भंग करने की रिर्पोट न तो सरकार की ओर से एवं न नही दोनो गैरसायल पार्टी नंबर एक व गैरसायल पार्टी नंबर दो की ओर से प्रस्तुत की गई है। विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड अनुसार गैरसायल पार्टी नंबर एक के नाम दर्ज रेकर्ड है। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण अर्जेण्ट प्रयोजन से आशयित नही है । वकील गैरसायल पार्टी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर 2012(1)सीजे(क्रिमी) (राज.) शीर्षक महेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान राज्य वगैरहा एसबी क्रिमीनल मिसलेनिस पीटीशन नंबर 2281 वर्ष 2007 निर्णित दिनांक 16—10—2011 शामिल पत्रावली की गई । अतः उपरोक्त आधार पर विचाराधीन इस्तगासा अर्न्तगत धारा 145 सीआरपीसी के तहत विरूद्व गैरसायल पार्टी नंबर एक तथा गैरसायल पार्टी नंबर दो स्वीकार योग्य नही होने से इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हँसमुख कुमार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सिरोही

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही

C:\Users\hcl\Desktop\New folder (2)\133,145 C.R.P.C.doc

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.30 19:35:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: